भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3025

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है

एलआईवीईएस ढांचे के तहत भूमि का पुनरूपयोग

3025. श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री मनीष जायसवालः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री नव चरण माझीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड और मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र विशेष के संदर्भ में तकनीकी पुनर्प्राप्ति, एकीकृत सामुदायिक सहभागिता और सशक्तिकरण, व्यवहार्य समापन-पश्चात विकास, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्वास, पुनर्योजी पर्यावरण बहाली और स्थिरता तथा प्रबंधन (एलआईवीईएस) ढांचे के तहत खदान-पश्चात भूमि के पुनः उपयोग के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) शहडोल में खदान स्वामियों और सक्रिय कोयला कंपनियों द्वारा इंटरैक्टिव डिसीजन-सहयोग उपकरण को किस सीमा तक अपनाया गया है और क्या इसका उपयोग भविष्य की भूमि उपयोग योजना के लिए किया जा रहा है;

(ग) झारखंड और शहडोल लोक सभा क्षेत्र में एलआईवीईएस ढांचे के तहत सफलतापूर्वक भूमि बहाली गतिविधियों को पूरा करने वाली खदानों (ओपन-कास्ट और भूमिगत) की संख्या कितनी है;

(घ) एलआईवीईएस ढांचे के तहत अपनाए गए पुनर्योजी स्थिरता उपायों का ब्यौरा क्या है और स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका पर इसके प्रभाव का विवरण क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने स्थायी खदान समापन के प्रभाव का आकलन किया है और क्या सरकार का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कोयला एवं खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और झारखंड और शहडोल (मध्य प्रदेश) सहित अन्य सभी खानें दिनांक 31.01.2025 के "कोयला और लिग्नाइट खानों के लिए खनन योजना और खान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश, 2025" के तहत यथा-अधिदेशित अनुमोदित खान बंद करने की योजना के साथ प्रचालित होती हैं।

एलआईवीईएस ढांचा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत खान बंद करने की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का एक कार्यतंत्र है। सभी सीआईएल खानों में, अनुमोदित खान बंद करने की गतिविधियों को एलआईवीईएस ढांचे के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें भूमि सुधार, सामुदायिक जुड़ाव, व्यवहार्य पोस्टक्लोजर विकास, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्वास और पुनर्योजी पर्यावरण बहाली शामिल हैं।

(ख) : इन दिशा-निर्देशों को खान के बाद के भू-उपयोग में भी कार्यान्वित किया जाता है। जीआईएस-आधारित खान बंद करने की योजना मॉड्यूल और भू-टैग किए गए फोटोग्राफिक प्रलेखन जैसे इंटरैक्टिव निर्णय-समर्थन उपकरण वैज्ञानिक रूप से खान बंद करने और भविष्य की भूमि उपयोग योजना के लिए उत्तरोत्तर अपनाए और कार्यान्वित किए जाते हैं।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुरूप, सामुदायिक विकास, आजीविका वृद्धि और बंद होने के बाद संक्रमण योजना के लिए कार्यनीतिक दिशा और देखरेख प्रदान करने के लिए शहडोल जिले में खान बंद करने की सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है।

(ग) : भूमि बहाली सहित खान बंद करने के कार्यकलाप कोयला कंपनियों द्वारा खान के पूरे जीवनकाल में अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुरूप खनन प्रचालन के साथ-साथ किए जाते हैं। एलआईवीईएस ढांचे को उत्तरोत्तर खान बंद करने की गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश और झारखंड के शहडोल जिले में खान बंद होने वाली/बंद हुई खानों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य	भूमिगत (यूजी) खानें	ओपनकास्ट (ओसी) खानें	मिश्रित खानें
झारखंड	37	77	14
मध्य प्रदेश (शहडोल जिला)	9	5	शून्य

(घ) : सीआईएल खानों में स्थानीय जनजातीय समुदायों की आजीविका पर प्रभाव के साथ-साथ एलआईवीईएस ढांचे के तहत अपनाए गए पुनर्योजी संधारणीय उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. भूमि सुधार और पुनर्योजी पर्यावरण बहाली

- खनन किए गए क्षेत्रों की वैज्ञानिक बैकफिलिंग और ग्रेडिंग
- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और ग्रीनबेल्ट विकास
- देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण के माध्यम से जैव विविधता में वृद्धि
- माइन वाइडस को जल निकायों में बदलना

2. संधारणीय पुनर्प्रयोजन

- माइन वाइडस में मछली पालन
- पुनः प्राप्त भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं
- इकोपार्क और खान पर्यटन स्थल
- वृक्षारोपण आधारित आजीविका मॉडल

3. एकीकृत सामुदायिक सहभागिता

- वृक्षारोपण, पर्यटन और जल आधारित आजीविका में स्थानीय और जनजातीय समुदायों की भागीदारी
- खनन के बाद की आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल विकास
- जिला स्तरीय खान बंद करने की सलाहकार समितियों के माध्यम से भागीदारी आयोजना

4. दीर्घकालिक निगरानी

- पुनः प्राप्त क्षेत्रों की जीआईएस-आधारित निगरानी

- जियो-टैग किए गए फोटोग्राफिक प्रलेखन
- खान बंद करने के दिशानिर्देशों के अनुसार तीसरे पक्ष का ऑडिट

5. निम्नलिखित के माध्यम से आजीविका लाभ

- वृक्षारोपण, इको पार्क रखरखाव और पर्यटन में नौकरियां
- मछली पालन और पानी आधारित गतिविधियों से आय
- सौर आधारित उद्यमों से अवसर
- बेहतर पर्यावरणीय गुणवत्ता और जल निकायों तक पहुंच

ये एलआईवीईएस के पुनर्योजी, समुदाय-केंद्रित संक्रमण के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

(ङ) और (च) : सरकार ने सभी प्रचालनरत, बंद और परित्यक्त खानों के लिए खान बंद करने की योजना तैयार करना अधिदिष्ट कर दिया है। ये खान बंद करने की योजना अब खनन योजना का एक अभिन्न अंग है और कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इसकी निगरानी कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा भी की जाती है।

इन अनुमोदित योजनाओं के अनुसार और प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार संधारणीय रूप से खान बंद करने का कार्यान्वयन सख्ती से किया जाता है।

*****